# आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: nsscceraj@gmail.com Ph.: 8377917640

क्रमांकः एफ.8(36)विविध/एनएसएस/आकाशि/2022–02540/ दिनांकः अगस्त, 2024

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) बाबत।
सन्दर्भः– शासन उप सचिव–प्रथम, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.10(15)शिक्षा/ग्रुप–3/2023–02579 राजकाज नं. 9608497 जयपुर दिनांक 12.08.2024 एवं निदेशक (आरसीएच) चि.स्वा. एवं प.क. विभाग के पत्र दिनांक 31.07.2024.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र क्रमांक 476 दिनांक 31.07.2024 के द्वारा सामूहिक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) दिनांक 10 अगस्त, 2024 व मॉप–अप दिवस दिनांक 17 अगस्त, 2024 को आयोजन किया जायेगा।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों में तथा शिक्षकों द्वारा समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में 1–19 वर्ष के बच्चों एवं किशोर–किशोरियों को एल्बेंडाजॉल की दवा खिलाई जायेगी।

अतः सन्दर्भित पत्र संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों/छात्र–छात्राओं को निर्देशित करें कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2024 के सफल क्रियान्वयन हेतु सहयोग प्रदान करते हुए दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

**कृपया कार्य को उच्च प्राथमिकता देवें।**

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(डॉ.विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

प्रतिलिपि –
1. शासन उप सचिव–प्रथम, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय को अपलोड/ई–मेल हेतु।

(डॉ.विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

RajKaj Ref
9798378

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijay Singh Jat
Designation : Joint Director
Date: 2024.08.14 20:04:54 IST
Reason: Approved

**राजस्थान सरकार**

**उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग**

ई–मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141–5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 10(15)शिक्षा / ग्रुप–3 / 2023–02579     जयपुर, दिनांकः

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज,
जयपुर।

विषयः– राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) दिनांक 10 अगस्त, 2024 व मॉप–अप दिवस दिनांक 17 अगस्त, 2024 को आयोजित किये जाने हेतु दिशा–निर्देश के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक (आरसीएच) चि.स्वा. एवं ए.क. विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 31.07.2024 निदेशानुसार लेख है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) दिनांक 10 अगस्त, 2024 व मॉप–अप दिवस दिनांक 17 अगस्त, 2024 को आयोजित किये जाने हेतु दिशा–निर्देश के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी)
शासन उप सचिव–प्रथम

RajKaj Ref
9608497

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Narendra Kumar Thory
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.08.12 13:34:50 IST
Reason: Approved

महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग
राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
राजस्थान सरकार

क्रमांकः एफ 7(42-I)एनएचएम/सी.एच./एनडीडी/2024/476 दिनांक 31/7/2024

समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिशद, राजस्थान,
समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय , कॉलेज शिक्षा राजस्थान,

Important

**विषयः– राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) दिनांक 10 अगस्त, 2024 व मॉप–अप दिवस दिनांक 17 अगस्त, 2024 को आयोजित किये जाने हेतु दिशा–निर्देश।**

जैसा की आप को विदित है की मिट्टी जनित कृमि (Soil Transmitted Helminths) संक्रमण बच्चों व किशोर किशोरियों के शारीरिक विकास, हीमोग्लोबिन स्तर, पोषण और बौद्धिक विकास पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। निश्चित समयांतराल पर कृमि मुक्त करने से कृमि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। राज्य में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों एवं किशोर–किशोरियों को कृमि मुक्त करने हेतु **10 अगस्त, 2024 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस व दिनांक 17 अगस्त, 2024 को मॉप–अप दिवस का आयोजन किया जाएगा।**

**राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2024 के सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्य बिन्दुः–**

- जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (संलग्न)** जारी की जा चुकी है। उक्त प्रशिक्षण में तीनों विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जायें।
- कार्यक्रम की कार्ययोजना एवं समस्त तैयारियों के सम्बन्ध में **जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एवं ब्लॉक स्तर पर उपखंड मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एनडीडी आयोजन से पूर्व समीक्षा बैठक की जानी है।** जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग व अन्य सहयोगी विभागों/संगठनों जिसमें मुख्यतः पंचायती राज, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) और स्काउट एवं गाइड के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाये, साथ **उक्त बैठक में राजकीय व निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान/प्रतिनिधि को अवश्य रूप से सम्मिलित किया जायें।**
- आशा कार्यकर्ता द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आयोजन से पूर्व क्षेत्र के **आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 –5 वर्ष के पंजीकृत व अपंजीकृत बच्चों तथा विद्यालय नहीं जाने वाले 6 से 19 वर्ष के समस्त बच्चों एवं किशोर व किशोरियों** की सूची बनाकर माईक्रोप्लान तैयार किया जाना है।
- **राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस** की जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु आईईसी गतिविधियां की जावे जिससे अधिक से अधिक कवरेज किया जा सके। **आईईसी एवं रिपोर्टिंग प्रपत्र सामग्री राज्य सेंट्रल स्टोर से प्राप्त किया जावे।** उक्त हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय स्टोर प्रभारी राज्य सेन्ट्रल स्टोर प्रभारी से समन्वय कर सामग्री यथाशीघ्र वितरण हेतु प्राप्त करें।

- रिपोर्टिंग प्रपत्रों तथा एल्बेंडाजॉल गोलियों का वितरण समुचित मात्रा में **आंगनबाडी कार्यकर्ताओं व निजी/सरकारी विद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, मदरसों** को अगस्त माह के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण करवाया जावे।
- **जिला नोडल अधिकारी एनडीडी (Dy./Add. CM&HO, F.W.)** जिला स्तर,ब्लॉक स्तर तथा आंगनबाड़ी केंद्रों विद्यालयों की दवाइयों की मांग तथा सप्लाई की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करेंगे तथा आवश्यकता अनुसार डीपीसी एवं डीडीडब्लू से आवश्यक समन्वय करते हुए जिले हेतु आवश्यक एल्बेंडाजोल की गोलियों की उपलब्धता व वितरण यथा समय सुनिश्चित करेंगे।
- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दौरान किसी भी प्रकार की **प्रतिकूल घटना के समाधान व प्रबंधन हेतु प्रत्येक चिकित्सा संस्थान (सीएचसी/पीएचसी/यू-पीएचसी/एसडीएच/डीएच) में एडवर्स इवेंट रेस्पोंस मैनेजमेंट टीम का गठन किया जाये, साथ ही 108 इमर्जेंसी कॉल सेंटर राष्ट्रिय कृमि मुक्ति दिवस के दौरान एडवर्स इवेंट प्रबंधन हेतु तैयार रखा जाए।**
- समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर उद्घाटन कार्यक्रम अवश्य आयोजित किये जाये व विभिन्न मीडिया माध्यमों द्वारा कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायें। **उद्घाटन कार्यक्रम हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (संलग्न)** जारी की जा चुकी है।
- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दौरान **आशाओं द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 -5 वर्ष पंजीकृत व अपंजीकृत बच्चो तथा विद्यालयों नहीं जाने वाले 6 से 19 वर्ष के समस्त बच्चों और किशोर व किशोरियों को आँगनबाड़ी केंद्रों पर कृमि मुक्ति की दवा खाने हेतु मोबिलाईज किया जायेगा।** इस हेतु आशाओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान नियमानुसार आशा सॉफ्ट के माध्यम से अक्टूबर से दिसम्बर माह तक आवश्यक रूप से करावें। इस हेतु **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (संलग्न)** जारी की जा चुकी है।
- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) **आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों में तथा शिक्षकों द्वारा समस्त विद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थानों, मदरसों के माध्यम से 1-19 वर्ष के बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को एल्बेंडाजॉल की दवा खिलाई जायेगी।**

हमे यह विश्वास हैं कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम में आप सभी के सहयोग से हम 1-19 वर्ष के सभी बच्चों तक पहुंचने में सफल होंगे तथा इन सभी बच्चों को कृमि मुक्त कर बेहतर स्वास्थ्य और बौद्दिक विकास से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकेगें।

**संलग्न - 1. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)।**
**2. एनडीडी कार्यक्रम से संबंधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों की प्रति।**

| | | |
|---|---|---|
| (डॉ. मोहन लाल यादव) | ( श्री कृष्ण कुणाल ) | ( श्रीमती शुभ्रा सिंह ) |
| शासन सचिव | शासन सचिव | अतिरिक्त मुख्य सचिव |
| महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान | स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, राजस्थान | चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0 क0 विभाग, राजस्थान |

क्रमांक: एफ 7(42-I)एनएचएम/सी.एच./एनडीडी/2024/ 476 दिनांक: 31/7/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को भेजकर निवेदन है कि जिला परिषद् और पंचायत समिति की आगामी बैठकों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के क्रियान्वयन को बैठकों में एजेन्डा रखा जाये जिससे की पंचायती राज प्रतिनिधियों को एवं आमजन को एनडीडी पर जागरूक करने हेतु प्रेरित किया जा सके।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर से निवेदन है कि संबंधित महाविद्यालयो को उक्तानुसार दिशा–निर्देश जारी करावें।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान से निवेदन है कि नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पालिका में लगे हुए कचरा संग्रहण वाहनों में कार्यक्रम से सम्बंधित जिंगल चलाने हेतु दिशा–निर्देश जारी करावें जिससे कार्यक्रम के बारे में जागरूकता की जा सकें।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, राजस्थान।
9. निजी सचिव, शासन सचिव,, संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
11. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
12. निजी सचिव निदेशक, आई. सी. डी. एस. से निवेदन हैं कि आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु उक्तानुसार दिशा–निर्देश जारी करावे।
13. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, को भेजकर लेख है कि संबंधित महाविद्यालयो को उक्तानुसार दिशा–निर्देश जारी करावें।
14. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं विशेष सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि संबंधित महाविद्यालयो को उक्तानुसार दिशा–निर्देश जारी करावें।
15. निजी सचिव निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
16. निजी सचिव निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायती राज विभाग को भेजकर लेख है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत उपलब्ध मंचों का उपयोग करके कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को जिला एवं ब्लॉक स्तरीय बैठकों का एजेन्डा रखने हेतु निर्देश जारी करावें।
17. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड को भेजकर लेख है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड में पंजीकृत सभी मदरसों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु दिशा–निर्देश जारी करावें।
18. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय को भेजकर लेख है कि संबंधित विद्यालयों को उक्तानुसार दिशा–निर्देश जारी करावें।
19. उपायुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय को भेजकर लेख है कि संबंधित विद्यालयों को उक्तानुसार दिशा–निर्देश जारी करावें।
20. निजी सहायक, निदेशक (जन–स्वास्थ्य), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
21. निजी सहायक, निदेशक, आर.सी.एच., चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
22. विशेषाधिकारी, एनएचएम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि 108 एम्बुलेंस व कॉल सेंटर को कार्यक्रम के प्रतिकूल घटनाओ के प्रबन्धन हेतु सुनिश्चित करें।
23. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आर.सी.एच., चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
27. समस्त प्राईवेट स्कूल यूनियन को भेजकर लेख है कि सम्बंधित प्राईवेट स्कूलों में कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करके उन्हें कार्यक्रम मे भाग लेने के लिए प्रेरित करें।
28. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, राजस्थान।
29. परियोजना निदेशक, शिशु स्वास्थ्य, आरबीएसके, एचडब्ल्यूसी, एन. एच. एम. जयपुर
30. राज्य नोडल अधिकारी, आरकेएसके, आशा एवं एनयूएचएम।
31. राज्य नोडल अधिकारी विफ्स एवं डिवर्मिंग, शिक्षा विभाग तथा आईसीडीएस, जयपुर, राजस्थान।
32. अति/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), समस्त जिले, राजस्थान।
33. जिला कार्यक्रम प्रबंधक ईकाई, समस्त जिले, राजस्थान।
34. पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, राजस्थान।
35. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, ईएआईआई एडवाईजर्स,, राजस्थान।
36. सर्वर प्रभारी कक्ष को ईमेल हेतु।
37. रक्षित पत्रावली।

Ranawat

(डॉ० एस०एस० राणावत)
निदेशक (आरसीएच)
चि.स्वा. एवं प.क. विभाग

# राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

## I. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की नीति और योजना

**क्रियान्वयन की तिथिः** राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस **10 अगस्त, 2024** व मॉप–अप दिवस **17 अगस्त, 2024** को आयोजित किया जायेगा।

**क्रियान्वयन दृष्टिकोणः**

- राज्य में 1 से 19 साल के आयु वर्ग के बच्चों और किशोर व किशोरियों को कृमि मुक्ति दिवस के दौरान आंगनबाडी केन्द्रों (शहरी एवं ग्रामीण), राजकीय विद्यालयों, निजी विद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थानों, मदरसों में कृमिनाशक एल्बेंडाजॉल की दवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं शिक्षकों/अध्यापकों द्वारा खिलायी जायेगी।

| आयु वर्ग | एल्बेंडाजॉल (400mg) की खुराक |
|---|---|
| 1 से 2 वर्ष तक के बच्चे | आधी गोली को चम्मच से चूरा कर के चम्मच में पानी के साथ मिला कर पिलाना |
| 2 से 3 वर्ष तक के बच्चे | एक पूरी गोली (चूरा कर के पानी के साथ) |
| 3 से 19 वर्ष तक के बच्चे | पूरी 1 गोली (चबाकर पानी के साथ) |

- क्रियान्वयन हेतु दिनांक 10 अगस्त, 2024 से पूर्व आशाओं द्वारा आंगनबाडी केन्द्र में पंजीकृत व अपंजीकृत 1 से 5 वर्ष के बच्चों तथा विद्यालय नहीं जाने वाले 6 से 19 वर्ष के समस्त बच्चों और किशोर व किशोरियों की सूची बनाई जायेगी व आंगनबाडी कार्यकर्ता से साझा की जायेगी। एनडीडी दिवस दिनांक 10 अगस्त, 2024 को लाभार्थियों को आँगनबाड़ी केंद्रों पर कृमि मुक्ति की दवा खाने हेतु आशाओं द्वारा मोबिलाईज किया जायेगा एवं मॉप–अप दिवस दिनांक 17 अगस्त, 2024 को एनडीडी दिवस के दिन वंचित रहे/शेष रहे लाभार्थीयों को आँगनबाड़ी केंद्रों पर कृमि मुक्ति की दवा खाने हेतु आशाओं द्वारा मोबिलाईज किया जायेगा।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों पर दिनांक 10 अगस्त, 2024 को आंगनबाडी केन्द्र में पंजीकृत व अपंजीकृत 1 से 5 वर्ष के बच्चों तथा विद्यालय नहीं जाने वाले 6 से 19 वर्ष के समस्त बच्चों और किशोर व किशोरियों को एल्बेंडाजॉल की गोली खिलाई जायेगी एवं वंचित रहे/शेष रहे लाभार्थीयों को दिनांक 17 अगस्त, 2024 को एल्बेंडाजॉल की गोली खिलाई जायेगी।
- राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों, निजी विद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थानों, मदरसों में शिक्षकों द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2024 को एल्बेंडाजॉल की गोली खिलाई जायेगी एवं वंचित रहे/शेष रहे लाभार्थीयों को दिनांक 17 अगस्त, 2024 को एल्बेंडाजॉल की गोली खिलाई जायेगी।
- **शिक्षक, आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, किसी भी परिस्थिति में कृमि मुक्ति की दवाई (एल्बेंडाजॉल) बच्चों के माता–पिता या अभिभावक को न दें अथवा उन्हें सौंप कर नहीं आयें बच्चों को दवाई हमेशा स्वयं ही खिलाएँ।**
- शिक्षक, आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, यह सुनिश्चित करें कि बच्चा बीमार नहीं है एवं बच्चे के बीमार नहीं होने पर ही बच्चे को कृमि मुक्ति की दवा (एल्बेंडाजॉल गोली) खिलायी जाये।
- सरकारी/निजी विद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थानों, मदरसों तथा आंगनबाडी केन्द्रों में पीने योग्य साफ पानी एवं एल्बेंडाजॉल की समुचित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- एल्बेंडाजॉल दवा बंडलिंग एवं वितरण योजना के अनुसार, आंगनबाडी केन्द्रों (शहरी एवं ग्रामीण), सरकारी/निजी विद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थानों, मदरसों को उपलब्ध करवाई जाये।

## II. एनडीडी व मॉप–अप कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सावधानियाँ:–

- शिक्षकों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किसी बच्चे में बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर बच्चे को कृमि मुक्ति की दवा नहीं खिलायी जायेगी।

- सभी लाभार्थियों को दवा खिलाने से पूर्व शिक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपने हाथों को साबुन से धोयें।
- गोली खिलाने हेतु उपयोग में लिये जाने वाले चम्मच एवं कटोरी को उपयोग से पूर्व व पश्चात् साबुन एवं पानी से धोकर साफ किया जाये।
- हाथ धोने की सुविधा हेतु साबुन और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
- दिनांक 10 अगस्त, 2024 को जिन बच्चों व किशोर–किशोरियों को एल्बेंडाजॉल गोली खिलाई गई उनकी उपस्थिति पंजिका में √ को अंकित किया जायें एवं **दिनांक 10 अगस्त, 2024 को छूटे हुये/वंचित रहे जिन बच्चों व किशोर–किशोरियों को मॉप–अप दिवस 17 अगस्त, 2024 को एल्बेंडाजॉल गोली खिलाई जाये उनकी उपस्थिति पंजिका में √ √ को अंकित किया जायें।**

**III. प्रशिक्षण और अनुकूलन**

- एनडीडी के दिशा–निर्देशों की पालना करने हेतु कार्यक्रम के जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगें।
- जिला स्तर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं आईसीडीएस के ब्लॉक अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किये जायें। ब्लॉक अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों का प्रशिक्षण ब्लॉक व सेक्टर बैठकों में किया जायेगा ।

**प्रशिक्षण कैस्केड**

| | |
|---|---|
| राज्य स्तरीय आमुखीकरण | • प्लेटफॉर्मः वीडियो कॉन्फ्रेंस<br>• जिला स्तरीय प्रतिभागीः उप/अति सीएमएचओ (प.क), डीपीएम, यूपीएम, डीएनओ, एएसओ (प.क.), डीएसी, डीडी (आईसीडीएस),डीईओ सेकेंडरी डीईओ एलीमैन्ट्री। |
| जिला स्तरीय प्रशिक्षण | • प्लेटफॉर्मः जिला मुख्यालय<br>• ब्लॉक स्तरीय प्रतिभागीः बीसीएमओ, सीडीपीओ, बीपीएम, बीएएफ, सीबीईओ |
| खण्ड एवं सैक्टर स्तर प्रशिक्षण | • प्लेटफॉर्मः विभागीय ब्लॉक व सैक्टर बैठकें एवं पीईईओ स्तर<br>• शिक्षक, आशा, ए.एन.एम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता |

**IV. माईक्रोप्लानिंगः–**

- आशा अपनी आशा डायरी की सहायता से आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 से 5 वर्ष के पंजीकृत व अपंजीकृत बच्चों तथा विद्यालय नहीं जाने वाले 6 से 19 वर्ष के समस्त बच्चों और किशोर व किशोरियों की सूची तैयार करेगी।
- आशा द्वारा लक्षित 1–19 वर्ष के बच्चों और किशोर/किशोरियों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाने हेतु दिनांक 10. 08.2024 को आंगनबाडी केन्द्रों पर मोबिलाईज किया जायेगा। इसी प्रकार वंचित रहे/शेश रहे बच्चों को एल्बेंडाजॉल गोली खिलाने हेतु दिनांक 17.08.2024 को मोबिलाईज किया जायेगा।
- शिक्षकों द्वारा रजिस्टर की सहायता से विद्यालयों में पंजीकृत (1 –19 वर्ष) के समस्त बच्चों और किशोर व किशोरियों की सूची तैयार की जायें।
- शहरी क्षेत्रों में शहरी आशा उपरोक्त गतिविधियां करेगी। शहरी झुग्गी बस्तियों माईक्रोप्लानिंग संबंधित यूपीएचसी द्वारा की जायेगी।
- शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने–अपने क्षेत्र में लक्षित लाभार्थियों की अनुमानित संख्या के अनुसार दवा उपलब्ध करवाई जायें।

**V. आईईसी और जागरुकता**

जागरुकता फैलाना, समुदाय को जागरुक बनाना और लोगों को प्रेरित करने का कार्य एनडीडी कार्यक्रम में उच्च स्तरीय कवरेज को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। आईईसी और जागरुकता के लिए विभिन्न गतिविधियां राज्य स्तर से की जायेगी।

- एनडीडी के रिपोर्टिंग प्रपत्र का मुद्रण कार्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य स्तर से कर उपलब्ध करवाये जायेगें।

Alanawat

## VI. कार्यक्रम प्रबंधन

- जिला नोडल अधिकारी एनडीडी (Dy./Add. CM&HO, F.W.) कार्यक्रम की सभी गतिविधियो का रिकार्ड रखेंगे और लॉजिस्टिक्स और फील्ड स्तर पर कार्यान्वयन से जुड़ी बाधाओं को दूर करने में मदद करेंगे व जिला स्तर,ब्लॉक स्तर तथा आंगनबाड़ी केंद्रों विद्यालयों की दवाइयों की मांग तथा सप्लाई की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करेंगे तथा आवश्यकता अनुसार डीपीसी एवं डी डी डब्लू से आवश्यक समन्वय करते हुए जिले हेतु आवश्यक एल्बेंडाजोल की गोलियों की उपलब्धता व वितरण यथा समय सुनिश्चित करेंगे।

- फील्ड स्तर पर एएनएम सम्बन्धित आंगनबाडी कार्यकर्ता के लिए सहायक की भूमिका निभाएंगी और दवाओं की पर्याप्त मात्रा और रिपोर्टिंग फॉर्मेट की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

## VII. कार्यक्रम की निगरानी

- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की मॉनिटरिंग समस्त विभागों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में की जावेगी।

## VIII. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के दौरान प्रतिकूल घटना प्रबंधन :

- शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिकूल घटना के संकेतों की जानकारी, उनके निवारण एवं रेफरल आदि के बारे में चिकित्सा अधिकारी एवं सीएचओ द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा।
- एएनएम एवं सीएचओ अपने उप–केन्द्र की संपूर्ण प्रभारी होंगी और फील्ड में कोई भी सामान्य प्रतिकूल घटना होने पर पहली संपर्क व्यक्ति होंगी।
- प्रतिकूल घटना के निवारण हेतु कार्य तेजी से किया जाना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग में इसकी सूचना के आदान–प्रदान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- प्रतिकूल घटना के निवारण हेतु एमएमयू व आरबीएसके टीमों द्वारा भी सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एएनएम व चिकित्सा अधिकारी और निकटवर्ती चिकित्सा संस्थानों का पता व फोन नं. एवं 108 के नम्बर उपलब्ध कराए जायेंगे।
- प्रशिक्षण में शिक्षकों, आशाओं तथा आंगनबाड़ी कार्यकताओं, को सामान्य प्रतिकूल घटना व कृमि के कारण होने वाले मामूली दुष्प्रभाव (जैसे जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, पेट में हल्का दर्द और थकान का अनुभव) के बारे में बतायें, साथ ही उससे निपटने हेतु कुछ सरल उपाए भी बताएं (जैसे बच्चे को खुली व छायादार जगह में लिटाना, पीने का साफ पानी देना एवं स्वयं की निगरानी में रखना आदि)।
- किसी प्रतिकूल घटना के मामले में निवारण हेतु 108 की सेवाएं ली जायेगी।
- कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की प्रतिकूल घटना के समाधान व प्रबंधन हेतु प्रत्येक चिकित्सा संस्थान (सीएचसी/पीएचसी/यूपीएचसी/एसडीएच) में एडवर्स इवेंट रेस्पोंस मैनेजमेंट टीम का गठन किया जाये, साथ ही 108 को तैयार रखा जाए।
- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के दौरान शिक्षक, आशा, ए.एन.एम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसी भी प्रकार की प्रतिकूल घटना के समाधान के लिए सजग रहें एवं सुनिश्चित करें कि प्रतिकूल घटना होने पर इसकी सूचना ए.एन.एम. के माध्यम से 108 एवं चिकित्सा अधिकारी प्रभारी व ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिला स्तरीय नोडल अधिकारी ;क्लध ।ककण ब्डभ्द ध्ैद्व तथा राज्य स्तर पर च्वरमबज क्पतमबजवत. बेपसक भ्मंसजीए छभ्ड को तुरंत दी जाये।

## IX. कवरेज रिपोर्टिंग

एनडीडी डाटा की रिपोर्टिंग करने के लिए निम्नलिखित रिपोर्टिंग माध्यमों का उपयोग किया जाएगा:

- समस्त शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कृमि मुक्ति दिवस व मॉप अप दिवस के दौरान, दवा खाने वाले बच्चों की संख्या अपने–अपने रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज की जायेगी।
- एनडीडी रिपोर्टिंग प्रपत्र में कार्यक्रम के कवरेज रिपोर्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा भरकर 20 अगस्त, 2024 तक एएनएम को जमा करेगीं।
- शिक्षकों द्वारा एनडीडी की कवरेज रिपोर्ट दिनांक **20 अगस्त, 2024** को ही अपने संस्था के प्रधानाध्यापक/हेडमास्टर/संस्था प्रधान को प्रेषित की जायेगी।

Glanawat.

- विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/हेडमास्टर द्वारा अपने शिक्षण संस्थान की संकलित रिपोर्ट पीईईओ/सीबीईओ को **22 अगस्त, 2024** को प्रेषित की जायेगी तथा पीईईओ अपने अधीनस्त समस्त विद्यालयों निजी/सरकारी से प्राप्त एनडीडी रिपोर्ट को संकलित कर संबंधित (CHC/PHC) पर **23 अगस्त, 2024** तक अवश्य जमा करवाएंगे, साथ ही एनडीडी के उपरान्त भोश बची एल्बेंडाजॉल गोलियाँ भी जमा करवायेगें।
- तकनीकी शिक्षण संस्थानों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा एनडीडी की कवरेज रिपोर्ट **23 अगस्त, 2024** को संबंधित सीएचसी/पीएचसी/खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करेगें। साथ ही शेष रही एल्बेंडाजॉल गोलियाँ भी जमा करायेगें।
- एएनएम अपने क्षेत्र की एनडीडी कवरेज रिपोर्ट संकलित (अपने क्षेत्र के आंगनबाडी केन्द्रों की रिपोर्ट संकलित) कर एएनएम रिपोर्टिंग प्रपत्र में ईन्द्राज करेगी व शेष बची एल्बेंडाजॉल **23 अगस्त, 2024** को चिकित्सा संस्थानों (सीएचसी/पीएचसी/यूपीएचसी/एसडीएच) पर जमा करेगी।
- चिकित्सा संस्थान (सीएचसी/पीएचसी/यूपीएचसी/एसडीएच) एएनएम से प्राप्त एनडीडी रिपोर्ट एवं विद्यालयों से प्राप्त एनडीडी रिपोर्ट को संकलित कर **26 अगस्त, 2024** तक ब्लॉक को प्रेषित करेंगे।
- ब्लॉक स्तर पर खण्ड मुख्य चिकिंत्सा अधिकारी द्वारा समस्त संस्थानों एवं तकनीकी संस्थानों व उच्च शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित किया जावेगा और इसकी प्रविष्टि ब्लॉक रिपोर्टिंग प्रपत्र में करने के पश्चात जिला स्तर पर उप/अति. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प.क.) को **28 अगस्त, 2024** तक प्रेषित की जावेगी।
- उप/अति. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प.क.) खण्ड स्तर से प्राप्त एनडीडी रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे एवं संकलित रिपोर्ट का अनुमोदन कर राज्य स्तर पर **29 अगस्त, 2024** तक भेजेगें।

**X. आशा प्रोत्साहन राशिः–**

- आशा द्वारा कार्यक्रम के मॉप–अप दिवस के पश्चात् (**20 अगस्त, 2024**) को लाइनलिस्ट की एक प्रति एएनएम को जमा करवायी जाएगी जिससे आशा को प्रोत्साहन राशि का भुगतान आशा सॉफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।

**XI. सहयोगी विभागों के कार्य और जिम्मेदारियां:**

- समस्त सहयोगी विभागों क्रमशः मुख्यतः चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, डब्ल्यूसीडी (आईसीडीएस), स्कूल शिक्षा विभाग को एनडीडी के सफल कार्यान्वयन के लिए मिलकर कार्य करना है। सभी सहयोगी विभाग राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की जागरुकता फैलाने के लिए अपने–अपने उपलब्ध मंचों के माध्यम से एनडीडी संबंधी सूचना का प्रसार करेंगे और वे मिलकर सभी स्तरों पर एनडीडी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।
- स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय में पंजीकृत बच्चों में एनडीडी की जागरूकता हेतु यथासंभव सहयोग व बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा (एल्बेंडाजॉल) खाने हेतु प्रेरित किया जाये।

(डॉ0 एस0एस0 राणावत)
निदेशक (आरसीएच)
चि.स्वा. एवं प.क. विभाग

भारत 2023 INDIA

Meera Srivastava, IRS
Joint Secretary

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
Nirman Bhawan, New Delhi-110011

**DO letter No Z-28020/9/2022-CH**
**Dated 12th July 2024**

Dear All,

As you are aware, National Deworming Day (NDD) is conducted bi-annually to combat worm infestations by administering oral chewable albendazole tablets to children and adolescents (1-19 years). The programme is implemented through a convergent approach with strong support from the Ministry of Women and Child Development and Ministry of Education to ensure maximum coverage.

You are requested to organize the next NDD round on 10th August 2024 in a fixed day approach using schools and AWCs as platforms. The Mop Up round may be organized on 17th August 2024 as per the standard operational guidelines.

You are requested to ensure necessary preparatory activities with the partner departments at State and district level for successful implementation of NDD round and share the coverage report in a timely manner. It is further requested to share good quality photographs (3-4 per State/UT) for purposes of reports and record.

With Regards,

Meera Srivastava

**(Meera Srivastava)**

To,

**Mission Director (NHM) – All States/UTs**

**Guidance Note**

**National Deworming Day: August Round**

**10th AUGUST 2024**

Date of NDD: 10th August2024 (Saturday)

Date of Mop-Up-Round: 17th August 2024 (Saturday)

**NDD 2024 August Round - Important Timelines**

| Tentative Dates | Activity | Responsibility |
|---|---|---|
| To be completed by third week of July 2024 | **Finalization of targets across all levels** (state, district, block)<br>• Target to be aligned with proposed target shared during NPCC – all children and adolescents aged 1-19 years of age. | State |
| | **State level Training of Trainers** | |
| | **State level Coordination Committee Meeting**<br>• Coordination between Health, Education and WCD<br>• **Strategy development on engagement of private schools, out-of-schools and urban areas** to be finalised in this meeting.<br>• States/UTs to engage Department of Panchayati Raj, Department of Tribal Affairs, Department of Rural Development,Department of Urban Development, Department of Drinking Water and Sanitation, and Urban Local Bodiesfor planning and IEC activities<br>• AEFI training – Emergency response planning and management | |
| | **VC with District Program Managers and District Nodal Officers** under chairpersonship of Mission Director NHM | |
| | **Ensure drug availability** at district level | |
| To be completed by fourth week of July 2024 | **District level Steering Committee Meeting** under chairmanship of DM<br>• Coordination between Health, Education and WCD<br>• Strategy development on engagement of private schools, out-of-schools and urban areas to be finalised in this meeting.<br>• States/UTs to engage Department of Panchayati Raj, Department of Tribal Affairs, Department of Rural Development,Department of Urban Development, Department of Drinking Water and Sanitation, and Urban Local Bodiesfor planning and IEC activities<br>• **AEFI training** – Emergency response planning and management | District |

| Tentative Dates | Activity | Responsibility |
|---|---|---|
| | **District level Training of Trainers** (Block officials- Health, WCD & Education) | District |
| To be completed by fourth week of July 2024 | **Block and micro level training** and **integrated distribution** – drug distribution, IEC material and formats to be received by AWW and schools; AEFI training | Block/Tehsil |
| Till NDD and Mop Up Day | **IEC/ stock monitoring**<br>• **Awareness generation, community sensitization, and mobilization** efforts are crucial to achieve high coverage in target population and for better adverse event management.<br>• ASHAs play a key role in mobilisation of all children especially out of school children and adolescents, who are hard to reach and vulnerable.<br>• States/UTs need to ensure that ASHAs are engaged in the NDD through active coordination with the ASHA resource cell across all levels<br>• States/ UTs to enhance community mobilisation efforts through effective use of **IEC - Broadcast of TV, radio spots and social media pages** | State/district |
| Plan for Mop-Up round | • **Conduct the meeting at block, district and State level to map the coverage and identify pockets and reach out plan to cover all beneficiaries during Mop Up Day** | State/district |
| After Mop-Up round | • Updating the Stock register for albendazole<br>• Timely Disbursement of ASHA incentives<br>• Sharing the coverage report to GOI within one month of completion of round | State/district |

Govt. Of Rajasthan
National Health Mission, Rajasthan
Department of Medical, Health & FW, SwasthyaBhawan, Jaipur
Tel.No. 0141-221590, Email ID: md-nrhm-rj@nic.in

F.7 (26)/NHM/CH/Sanction II/2022-24/365 Date: 20.6.24

## Administrative & Financial Sanction Order

Administrative and financial sanction is hereby accorded to District Health Societies for a sum of Rs. 6.78 (Six Lakh Seventy Eight Thousand only) under FMR Code RCH.7/Nutrition/53/National Deworming Day/Capacity Building/District Level Training of NDD for the each FY 2024-25 and FY 2025-26.

The budget allotment is as under: -

| District | Number of Blocks | Total participants | Number of Batches | Per batch Unit cost | Total budget sanctioned (Rs. In Lakh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajmer | 6 | 30 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Alwar | 10 | 50 | 2 | 10600 | 0.21 |
| Anupgarh | 5 | 25 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Balotra | 10 | 50 | 2 | 10600 | 0.21 |
| Banswara | 11 | 55 | 2 | 10600 | 0.21 |
| Baran | 9 | 45 | 2 | 10600 | 0.21 |
| Barmer | 13 | 65 | 2 | 10600 | 0.21 |
| BEAWAR | 6 | 30 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Bharatpur | 7 | 35 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Bhilwara | 10 | 50 | 2 | 10600 | 0.21 |
| Bikaner | 10 | 50 | 2 | 10600 | 0.21 |
| Bundi | 6 | 30 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Chittorgarh | 12 | 60 | 2 | 10600 | 0.21 |
| Churu | 8 | 40 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Dausa | 12 | 60 | 2 | 10600 | 0.21 |
| Deedwana Kuchaman | 8 | 40 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Deeg | 6 | 30 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Dholpur | 7 | 35 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Dudu | 4 | 20 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Dungarpur | 11 | 55 | 2 | 10600 | 0.21 |
| Ganganagar | 6 | 30 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Gangapur City | 5 | 25 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Hanumangarh | 8 | 40 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Jaipur I | 8 | 40 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Jaipur II | 10 | 50 | 2 | 10600 | 0.21 |
| Jaisalmer | 8 | 40 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Jalore | 6 | 30 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Jhalawar | 9 | 45 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Jhunjhunu | 11 | 55 | 2 | 10600 | 0.21 |
| Jodhpur | 1 | 5 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Jodhpur Rural | 14 | 70 | [illegible] | 10600 | 0.21 |
| Karauli | 7 | 35 | 1 | 10600 | 0.[illegible] |

RajKaj Ref
7972172

Signature valid
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Mission Director
Date: 2024.06.19 [illegible]9:40:28 IST
Reason: Approved

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kekri | 6 | 30 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Kherthal Tijara | 5 | 25 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Kota | 6 | 30 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Kotputli Behror | 7 | 35 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Nagaur | 9 | 45 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Neemkathana | 7 | 35 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Pali | 9 | 45 | 1 | 10600 | 0.11 |
| PHALODI | 7 | 35 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Pratapgarh | 9 | 45 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Rajsamand | 9 | 45 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Salumber | 5 | 25 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Sanchor | 6 | 30 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Sawai Madhopur | 6 | 30 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Shahpura | 5 | 25 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Sikar | 9 | 45 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Sirohi | 6 | 30 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Tonk | 7 | 35 | 1 | 10600 | 0.11 |
| Udaipur | 12 | 60 | 2 | 10600 | 0.21 |
| **Total amount** | **394** | **1970** | **64** | **530000** | **6.78** |

**District Health Societies** should ensure the expenditure within approved limit. The said expenditure should be incurred from Financial Limit available in RCH flexipool under NRHM and booked under the above-mentioned budget head in FMR.

**(Dr. Jitendra Kumar Soni)**
**Mission Director, NHM &**
**Special Secretary M.H. & F.W.**
**Rajasthan, Jaipur**

F.7 ( )/NHM/CH/Sanction II/2022-24/ 365 Date: 20.6.24

Copy to:-

1. PS to Add. Chief Secretary, Medical Health & Family Welfare Department, Rajasthan
2. PA to Mission Director, NHM, Rajasthan.
3. PA to Director, RCH, Medical Health & Family Welfare Department, Rajasthan
4. Director Finance NHM, Rajasthan.
5. State Program Manager, NHM, Rajasthan.
6. Project Director – Child Health, NHM, Rajasthan.
7. ASPM/SAM/SFM/CO Plan, NHM, Rajasthan.
8. CM&HO, Deputy/additional CMHO, All Districts
9. DAM, DPM & DAC all Districts, NHM, Rajasthan
10. Central Server Room for E-mail
11. Guard File

**(Dr. Suneet Singh Ranawat)**
**Director RCH**
**Medical Health & FW**
**Rajasthan**

RajKaj Ref
7972172

Signature valid
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Mission Director
Date: 2024.06.19 19:40:28 IST
Reason: Approved

**Government Of Rajasthan**
**National Health Mission, Rajasthan**
**Department of Medical, Health & FW, SwasthyaBhawan, Jaipur**
**Tel.No. 0141-221590, Email ID: md-nrhm-rj@nic.in**

F.7 (26)/NHM/CH/Sanction II/2024-26 363 Date: 20.6.24

## Administrative & Financial Sanction Order

Administrative and financial sanction is hereby accorded to District Health Societies for a sum of Rs. 53.50 lakh (Fifty Three Lakh Fifty Thousand Only) under FMR Code RCH.7/Nutrition/53/National Deworming Day/ASHA Incentive/Mobilizing Out of School Children on National Deworming Day for each FY 2024-25 and FY 2025-26. The budget allotment is as under: -

| District Name | ASHA Incentive for Mobilizing Out of School Children on National Deworming Day for the @ Rupees 100 per ASHA per Year | | ASHA Incentive for Mobilizing Out of School Children on National Deworming Day for the @ Rupees 100 per ASHA per Year | |
|---|---|---|---|---|
| | Total no. ASHAs | Total Sanctioned Amount in FY 2024-25 ( Rs. In Lakh) | Total no. ASHAs | Total Sanctioned Amount in FY 2025-26 ( Rs. In Lakh) |
| Ajmer | 827 | 0.83 | 827 | 0.83 |
| Alwar | 1546 | 1.55 | 1546 | 1.55 |
| Anupgarh | 612 | 0.61 | 612 | 0.61 |
| Balotra | 1265 | 1.27 | 1265 | 1.27 |
| Banswara | 1911 | 1.91 | 1911 | 1.91 |
| Baran | 1338 | 1.34 | 1338 | 1.34 |
| Barmer | 1666 | 1.67 | 1666 | 1.67 |
| BEAWAR | 879 | 0.88 | 879 | 0.88 |
| Bharatpur | 1138 | 1.14 | 1138 | 1.14 |
| Bhilwara | 1280 | 1.28 | 1280 | 1.28 |
| Bikaner | 1242 | 1.24 | 1242 | 1.24 |
| Bundi | 980 | 0.98 | 980 | 0.98 |
| Chittorgarh | 1354 | 1.35 | 1354 | 1.35 |
| Churu | 1516 | 1.52 | 1516 | 1.52 |
| Dausa | 1278 | 1.28 | 1278 | 1.28 |
| Deedwana Kuchaman | 1194 | 1.19 | 1194 | 1.19 |
| Deeg | 764 | 0.76 | 764 | 0.76 |
| Dholpur | 928 | 0.93 | 928 | 0.93 |
| Dudu | 298 | 0.30 | 298 | 0.30 |
| Dungarpur | 1595 | 1.60 | 1595 | 1.60 |
| Ganganagar | 1112 | 1.11 | 1112 | 1.11 |
| Gangapur City | 668 | 0.67 | 668 | 0.67 |
| Hanumangarh | 1151 | 1.15 | 1151 | 1.15 |
| Jaipur I | 1846 | 1.85 | 1846 | 1.85 |
| Jaipur II | 1351 | 1.35 | 1351 | 1.35 |
| Jaisalmer | 558 | 0.56 | 558 | 0.56 |
| Jalore | 648 | 0.65 | 648 | 0.65 |
| Jhalawar | 1280 | 1.28 | 1280 | 1.28 |
| Jhunjhunu | 1231 | 1.23 | 1231 | 1.23 |
| Jodhpur | 201 | 0.20 | 201 | 0.20 |
| Jodhpur Rural | 1461 | 1.46 | [illegible] | 1.46 |
| Karauli | 777 | 0.78 | [illegible] | [illegible] |

RajKaj Ref
7972172

Signature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Mission Director
Date: 2024.06.19 19:40:28 IST
Reason: Approved

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kekri | 494 | 0.49 | 494 | 0.49 |
| Khcrthal Tijara | 845 | 0.85 | 845 | 0.85 |
| Kota | 1103 | 1.10 | 1103 | 1.10 |
| Kotputli Behror | 1188 | 1.19 | 1188 | 1.19 |
| Nagaur | 1418 | 1.42 | 1418 | 1.42 |
| Neemkathana | 756 | 0.76 | 756 | 0.76 |
| Pali | 1232 | 1.23 | 1232 | 1.23 |
| PHALODI | 539 | 0.54 | 539 | 0.54 |
| Pratapgarh | 1060 | 1.06 | 1060 | 1.06 |
| Rajsamand | 992 | 0.99 | 992 | 0.99 |
| Salumber | 764 | 0.76 | 764 | 0.76 |
| Sanchor | 573 | 0.57 | 573 | 0.57 |
| Sawai Madhopur | 619 | 0.62 | 619 | 0.62 |
| Shahpura | 602 | 0.60 | 602 | 0.60 |
| Sikar | 1535 | 1.54 | 1535 | 1.54 |
| Sirohi | 791 | 0.79 | 791 | 0.79 |
| Tonk | 1110 | 1.11 | 1110 | 1.11 |
| Udaipur | 1980 | 1.98 | 1980 | 1.98 |
| **Total** | **53496** | **53.50** | **53496** | **53.50** |

Note: Note: This budget should be utilized through ASHA Soft Only.

**District Health Societies** should ensure the expenditure within approved limit. The said expenditure should be incurred from Financial Limit available in NHM Flexible Pool and booked under the concerned / above mentioned budget head in FMR.

**(Dr. Jitendra Kumar Soni)**
**Mission Director, NHM &**
**Special Secretary M.H. & F.W.**
**Rajasthan, Jaipur**

F.7 (26 )/NHM/CH/Sanction II/2024-26 363 Date:: 20.6.24

Copy to:-

1. PS to Add. Chief Secretary, Medical Health & Family Welfare Department, Rajasthan
2. PA to Mission Director, NHM, Rajasthan.
3. PA to Director, RCH, Medical Health & Family Welfare Department, Rajasthan.
4. Director Finance NHM, Rajasthan.
5. State Program Manager, NHM, Rajasthan.
6. Project Director – Child Health, NHM, Rajasthan.
7. SNO-ASHA, NHM, Rajasthan.
8. DEO Cell, NHM, Rajasthan.
9. ASPM, SAM, SFM, CO Plan& PO ASHA, NHM, Rajasthan.
10. CM&HO, Add/Dy CH&HO (FW), All Districts, Rajasthan.
11. DAM, DPM & DAC all Districts, NHM, Rajasthan
12. Central Server Room for E-mail
13. Guard File

**(Dr. Suneet Singh Ranawat)**
**Director RCH**
**Medical Health & FW**
**Rajasthan**

RajKaj Ref
7972172

Signature valid
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation: Mission Director
Date: 2024.06.19 19:40:28 IST
Reason: Approved

Govt. Of Rajasthan
National Health Mission, Rajasthan
Department of Medical, Health & FW, SwasthyaBhawan, Jaipur
Tel.No. 0141-221590, Email ID: md-nrhm-rj@nic.in

F.7 (26)/NHM/CH/Sanction II/2024-26/ 437 Date: 15/7/2024

## Revised Administrative & Financial Sanction Order

With reference to A&F sanction no. F7(26)/NHM/CH/Sanction II/2024-26/364 dated 20.06.24 Revised Administrative and financial sanction is hereby accorded to District Health Societies for a sum of Rs. 10.50 (Ten Lakh Fifty Thousand only) under FMR Code RCH.7/Nutrition/53/National Deworming Day/IEC & Printing /District Level Launch of NDD for the each FY 2024-25 and FY 2025-26.

The district wise budget allotment is as under: -

| S.No. | Name of DHS | Total Approved Amount in Lakh F.Y 2024-25 | Total Approved Amount in Lakh F.Y 2025-26 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajmer | 0.21 | 0.21 |
| 2 | Alwar | 0.21 | 0.21 |
| 3 | Anupgarh | 0.21 | 0.21 |
| 4 | Balotra | 0.21 | 0.21 |
| 5 | Banswara | 0.21 | 0.21 |
| 6 | Baran | 0.21 | 0.21 |
| 7 | Barmer | 0.21 | 0.21 |
| 8 | Beawar | 0.21 | 0.21 |
| 9 | Bharatpur | 0.21 | 0.21 |
| 10 | Bhilwara | 0.21 | 0.21 |
| 11 | Bikaner | 0.21 | 0.21 |
| 12 | Bundi | 0.21 | 0.21 |
| 13 | Chittorgarh | 0.21 | 0.21 |
| 14 | Churu | 0.21 | 0.21 |
| 15 | Dausa | 0.21 | 0.21 |
| 16 | DeedwanaKuchaman | 0.21 | 0.21 |
| 17 | Deeg | 0.21 | 0.21 |
| 18 | Dholpur | 0.21 | 0.21 |
| 19 | Dudu | 0.21 | 0.21 |
| 20 | Dungarpur | 0.21 | 0.21 |
| 21 | Ganganagar | 0.21 | 0.21 |
| 22 | Gangapur City | 0.21 | 0.21 |
| 23 | Hanumangarh | 0.21 | 0.21 |
| 24 | Jaipur I | 0.21 | 0.21 |
| 25 | Jaipur II | 0.21 | 0.21 |
| 26 | Jaisalmer | 0.21 | 0.21 |
| 27 | Jalore | 0.21 | 0.21 |
| 28 | Jhalawar | 0.21 | 0.21 |
| 29 | Jhunjhunu | 0.21 | 0.21 |
| 30 | Jodhpur | 0.21 | 0.21 |
| 31 | Jodhpur Rural | 0.21 | |

RajKaj Ref
8782723

Signature valid
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Mission Director
Date: 2024.07.12 10:20:48 IST
Reason: Approved

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32 | Karauli | 0.21 | 0.21 |
| 33 | Kekri | 0.21 | 0.21 |
| 34 | KherthalTijara | 0.21 | 0.21 |
| 35 | Kota | 0.21 | 0.21 |
| 36 | KotputliBehror | 0.21 | 0.21 |
| 37 | Nagaur | 0.21 | 0.21 |
| 38 | Neemkathana | 0.21 | 0.21 |
| 39 | Pali | 0.21 | 0.21 |
| 40 | PHALODI | 0.21 | 0.21 |
| 41 | Pratapgarh | 0.21 | 0.21 |
| 42 | Rajsamand | 0.21 | 0.21 |
| 43 | Salumber | 0.21 | 0.21 |
| 44 | Sanchor | 0.21 | 0.21 |
| 45 | SawaiMadhopur | 0.21 | 0.21 |
| 46 | Shahpura | 0.21 | 0.21 |
| 47 | Sikar | 0.21 | 0.21 |
| 48 | Sirohi | 0.21 | 0.21 |
| 49 | Tonk | 0.21 | 0.21 |
| 50 | Udaipur | 0.21 | 0.21 |
| | **Total amount** | 10.50 | 10.50 |

**District Health Societies**should ensure the expenditure within approved limit. The said expenditure should be incurred from Financial Limit available in NHM Flexible Pool and booked under the concerned / above mentioned budget head in FMR

**(Dr.Jitendra Kumar Soni)**
**Mission Director, NHM &**
**Special Secretary M.H. & F.W.**
**Rajasthan, Jaipur**

F.7 (26)/NHM/CH/Sanction II/2024-26/ 437 Date: 15/7/2024

Copy to:-

1. PS to Add. Chief Secretary, Medical Health & Family Welfare Department, Rajasthan
2. PA to Mission Director, NHM, Rajasthan.
3. PA to Director, RCH, Medical Health & Family Welfare Department, Rajasthan
4. Director Finance NHM, Rajasthan.
5. State Program Manager, NHM, Rajasthan.
6. Project Director – Child Health, NHM, Rajasthan.
7. ASPM/SAM/SFM/CO Plan, NHM, Rajasthan.
8. CM&HO, Additional/ Deputy CM&HO (F.W.), All Districts
9. DPM, DAM & DAC all Districts, NHM, Rajasthan
10. Central Server Room for E-mail
11. Guard File

RajKaj Ref
8782723

Signature valid
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Mission Director
Date: 2024.07.12 10:20:48 IST
Reason: Approved

# NATIONAL DEWORMING DAY - 2024 (10th August 2024)

| State/UT Name | | | |
|---|---|---|---|
| **Health Unit Districts :** | | District/ **Block/Municipality/Corporation :** | |
| No. of Govt./Govt. aided schools | | No. of Govt./Govt. aided schools reporting coverage | |
| No. of targeted private schools | | No. of targeted private schools reporting coverage | |
| No. of anganwadi centers (AWCs) | | No. of AWCs reporting coverage | |
| No. of ASHAs oriented/trained on NDD | | | |
| No. of Govt./Govt. aided schools who attended training NDD | | | |
| No. of private schools who attended training on NDD | | | |
| No. of agnanwadi workers oreinted/trained for NDD | | | |

| **Coverage Details/ (TARGET)** | **Girls** | **Boys** | **Total** |
|---|---|---|---|
| Total children out-of school | | | |
| Total children unregistered in anganwadis | | | |
| Total children registered in anganwadis | | | |
| Total children enrolled in the schools Govt. School | | | |
| Total children enrolled in the schools Pvt. School | | | |
| **Total number of children targeted** | | | |
| No. of enrolled children (classes 1-5) who were administered albendazole on NDD and MUD Govt. School | | | |
| No. of enrolled children (classes 1-5) who were administered albendazole on NDD and MUD Pvt. School | | | |
| No. of enrolled children (classes 6-12) who were administered albendazole on NDD and MUD Govt. School | | | |
| No. of enrolled children (classes 6-12) who were administered albendazole on NDD and MUD Pvt. School | | | |
| No. of registered children in AWCs (1-5 years) who were administered albendazole on NDD and MUD | | | |
| No. of unregistered children in AWCs (1-5 years) who were administered albendazole on NDD and MUD | | | |
| No. of out of school children (6-19 years) who were administered albendazole on NDD and MUD | | | |
| **Coverage Summary** | | | |
| Grand Total Of number of children who were administered Albendazole (T = 1a+1b+2a+2b+3+4+5+6) | | | |
| Percent coverage | | | |
| No. of severe adverse events reported from schools and anganwadis | | | |

| **Logistic Details** | | | |
|---|---|---|---|
| **Block/District/State (tick as applicable)** | **Govt. Schools** | **Private Schools** | **Anganwadis** |
| Total No. of albendazole tablets given | | | |
| Total No. of albendazole tablets administratered | | | |
| Stock of albendazole tablets left | | | |

sd/-Sign and seal of official